

मुकदमा नंबर 234/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/324

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 29.11.2024

मुकदमा नंबर 24/2023
ऑनलाईन नंबर 2023/47

स्टेट बनाम समुन्द्र सिंह

समुन्द्रसिंह बनाम स्टेट

उपस्थिति:-

1. श्री ललित कुमार मारु, बृजेश पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी/वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर की अपील संख्या 51/2018 एल.आर.एक्ट अनुवान समुन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसलीदार श्रीडूंगरगढ निर्णय दिनांक 28.09.2022 को आंशिक स्वीकार किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की गई कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्त को सुनकर एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच कर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी/वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण संख्या 234/2022 व वाद संख्या 24/2023 दोनो प्रकरणों को समेकित (कन्सुलिडेट) किया जाकर दोनो प्रकरणों की सुनवाई साथ-साथ की गई। स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। तनकीहात कायम की गई। वादी/अप्रार्थी की ओर से साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 3 में समुन्द्रसिंह, शेराराम, परमेश्वर के शपथ पत्र पेश किये। पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 3 के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श-01 से 12 तक करवाये गये। प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते लिहाजा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। बहस उभय पक्षकरान सुनी गई।

वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया कि वादी सेवानिवृत्त सैनिक है, वादी के नाम रोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



की कृषि भूमि पुराने खसरा नंबर 494 तादादी 31 बीघा का अलोटमेन्ट दिनांक 22.04.1968 में किया गया था। तब से वादी अपनी आवंटितशुदा भूमि पर लगातार बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। उक्त खसरा भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 588 तादादी 7.84 हैक्टियर है। राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेख रिकार्ड आधुनिकरण के दौरान वादी को सुनवाई का अवसर दिये प्रशिक्षु हल्का पटवारी ग्राम समन्दसर की रिपोर्ट के आधार पर वादी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को अपवादित मानकर प्रकरण संख्या एस. पी.एल/2018 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ बनाम समुन्द्रसिंह अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के निर्णय दिनांक 26.03.2018 को वादी के नाम चली आ रही खातेदारी भूमि को अराजीराज दर्ज रिकार्ड कर रिकार्ड के यथार्थिती बनये रखने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की अपील वादी द्वारा सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 51/2018 प्रस्तुत की गई, उक्त अपील के निर्णय दिनांक 28.09.2022 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के पारित आदेश दिनांक 26.03.2018 में त्रुटि मानते हुये पत्रावली में अपीलान्त/वादी को सुनकर व दस्तावेज की गहनता से जांच कर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के साथ पत्रावली रिमाण्ड की गई है और दोनो प्रकरणों की सुनवाई साथ-साथ चल रही है। वादगत भूमि के आवंटन हेतु कार्यवाही तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के कार्यालय द्वारा सन् 1966 से की गई उक्त कार्यवाही में हल्का पटवारी द्वारा वादी समुन्द्रसिंह के पिता का नाम मोहरसिंह जाति राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील राजगढ जिला चुरु के नाम की दिनांक विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 26.02.1968 में प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट में वादी के सैनिक नम्बर 4146368 का स्पष्ट उल्लेख है। उक्त अलोटमेन्ट के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुये प्रतिवादी की लापवाही व कार्य के प्रति सजग नहीं करने के कारण वादी का नाम के आगे सैनिक नंबर 4146304 का इन्द्राज गलत किया गया, जबकि वादी द्वारा राज्य सरकार को जो लगान अदा किया गया, उन रसीदों में वादी के पिता का नाम, जाति व निवास स्थान आदि के तमाम तथ्य अंकित है। प्रतिवादी का यह दायित्व था कि वादी के नाम अलोटमेन्ट लेटर के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर उसे अपडेट रखते। प्रतिवादी की लापरवाही का खामियाजा वादी को नहीं दिया जा सकता। वादी के नाम रही खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में दिनांक 11.05.2018 को विस्तृत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, जिसमें वादगत भूमि के कब्जे काश्त वादी के नाम होना, वादी के पिता का नाम मोहरसिंह निवासी जसवन्तपुरा तहसील राजगढ जिला चुरु का अंकन किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा पूर्व में मौका रिपोर्ट गलत पेश करने पर वादी की

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



खातेदारी भूमि का अकंन राजस्व रिकार्ड में अराजीराज किया गया, जबकि वादी अपने खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। वादी अपनी खातेदारी भूमि को पुनः अपने नाम घोषित करवाने का कानूनी अधिकार रखता है। साथ ही वादी अपने नाम अलोटमेन्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाकर गलत रूप से इन्द्राज किये गये अपने सैनिक नम्बर व अपने नाम के नाम पिता का नाम, जाति व निवास स्थान का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाने का भी अधिकारी है। एवं वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम घोषित कर उसके सैनिक नम्बर 4146304 के स्थान पर सही सैनिक नम्बर 4146368 मय पिता का नाम मोहरसिंह जाति राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करने का निवेदन किया जाकर प्र.संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 26.03.2018 में पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर वादी वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकाराज ने अपनी बहस करते हुए कथन किया समन्दसर की जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड सम्वत 2022 से 2025 खतौनी संख्या 442 के मुताबिक प्रार्थी समुन्द्रसिंह नंबर 4146304 अलॉटी संख्या 2025 के नाम से खसरा नंबर 888/494/2 तादादी 31.00 बीघा किस्म बारानी दायम भूमि दर्ज है। जो कि प्रार्थी को अलोटमेन्ट हुई थी। उपरोक्त स्थिति संवत 2046 के जमाबन्दी तक लगातार चलती रही इसके बाद जमाबन्दी संवत 2046 के खाता संख्या 401 में समुन्द्र सिंह नंबर 4146304 अलॉटी संख्या 2025 को नामान्तरण संख्या 860 दिनांक 20.06.1992 द्वारा प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का नोट लगा है। इसके पश्चात ग्राम समन्दसर की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तक प्रार्थी की खातेदारी मुताबिक रिकार्ड चलती रही है। इस संबंध में पटवारी हल्का समन्दसर की तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड ग्राम समन्दसर की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 505 के खसरा संख्या 588 तादादी 7.84 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रार्थी समुन्द्रसिंह नंबर 4146304 की खातेदारी मुताबिक रिकार्ड दर्ज है। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक भू.अ. /2018/1043 दिनांक 26.03.2018 द्वारा ग्राम समन्दसर के खसरा 588 को अराजीराज दर्ज कर यथास्थिति का नोट अकंन का आदेश होने पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक एलआर/2018/7853 दिनांक 26.03.2018 की पालना में खसरा नंबर 588 का नामान्तरण संख्या 971 निर्णय दिनांक 28.03.20218 से खसरा नंबर 588 तादादी 7.84 हैक्टेयर भूमि समुन्द्र सिंह 4146304 खातेदार की बजाय सिवायचक काबिल काश्त अराजीराज स्थिति यथावत रहेगी। नोट जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 की खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



505 अंकित है। रोही ग्राम समन्दसर की जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में खसरा नंबर 588 तादादी 7.84 हैक्टयर किरम बारानी दर्ज है जो कि मौके पर उक्त खसरा मुताबिक गिरदावरी के पडत चला आ रहा है। एवं राज्यहित को ध्यान मे रखते हुए निर्णय पारित किया जाता है तो आपति नही होने का कथन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली संख्या 234/2022 (02/2018) व पत्रावली संख्या 24/2023 में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तनकी संख्या 01 आया खसरा नंबर 588 तादादी 7.84 हैक्टयर रोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी वादी अपने नाम घोषित करवाकर सैनिक नंबर 4146369 मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिम्मेवादी।

उक्त तनकी के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जिस बाबत वादगत भूमि के आवंटन हेतु कार्यवाही तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के कार्यालय द्वारा सन् 1966 से की गई उक्त कार्यवाही में हल्का पटवारी द्वारा वादी समुन्द्रसिंह के पिता का नाम मोहरसिंह जाति राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील राजगढ जिला चुरू के नाम की दिनांक विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 26.02.1968 में प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट में वादी के सैनिक नम्बर 4146368 का स्पष्ट उल्लेख है। पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-01 का ता 12 का अवलोकन किया। जिस आधार पर यह प्रमाणित व साबित करने में वादी सफल रहा कि वादगत खसरा भूमि उसके नाम अलोटशुदा भूमि है जिस पर वादी का लगातार कब्जा उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम रही खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में दिनांक 11.05.2018 को विस्तृत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, तथा खातेदारी अधिकार भी वादी के नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर प्राप्त है। जिसमें वादगत भूमि के कब्जे काश्त वादी के नाम होना, वादी के पिता का नाम मोहरसिंह निवासी जसवन्तपुरा तहसील राजगढ जिला चुरू का अंकन किया हुआ है। रोही ग्राम समन्दसर की जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड सम्वत 2022 से 2025 खतौनी संख्या 442 के मुताबिक वादी समुन्द्रसिंह नंबर 4146304 अलॉटी संख्या 2025 के नाम से खसरा नंबर 888/494/2 तादादी 31.00 बीघा किरम बारानी दोयम भूमि दर्ज है। जो कि वादी को अलोटमेन्ट हुई थी। उपरोक्त स्थिति संवत 2046 के जमाबन्दी तक लगातार चलती रही इसके बाद जमाबन्दी संवत 2046 के खाता संख्या 401 में समुन्द्र सिंह नंबर 4146304 अलॉटी संख्या 2025 को

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



नामान्तरण संख्या 860 दिनांक 20.06.1992 द्वारा वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का नोट लगा है। इसके पश्चात ग्राम समन्दसर की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तक वादी की खातेदारी मुताबिक रिकार्ड चलती रही है। इस संबंध में पटवारी हल्का समन्दसर की तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकार्ड ग्राम समन्दसर की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 505 के खसरा संख्या 588 तादादी 7.84 हैक्टेयर किस्म बारानी वादी समुन्द्रसिंह नंबर 4146304 की खातेदारी मुताबिक रिकार्ड दर्ज है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के खिलाफ साबित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1043 दिनांक 26.03.2018 द्वारा ग्राम समन्दसर के खसरा 588 को अराजीराज दर्ज कर यथास्थिति का नोट अकंन का आदेश होने पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक एलआर/2018/7853 दिनांक 26.03.2018 की पालना में खसरा नंबर 588 का नामान्तरण संख्या 971 निर्णय दिनांक 28.03.2021 से खसरा नंबर 588 तादादी 7.84 हैक्टेयर भूमि समुन्द्र सिंह 4146304 खातेदार की बजाय सिवायचक काबिल काशत अराजीराज स्थिति यथावत रहेगी। नोट जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 की खाता संख्या 505 अंकित है। रोही ग्राम समन्दसर की जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में खसरा नंबर 588 तादादी 7.84 हैक्टेयर किस्म बारानी दर्ज है जो कि मौके पर उक्त खसरा मुताबिक गिरदावरी के पडत चला आ रहा है। तनकी संख्या 02 प्रतिवादी स्टेट के जिम्मे रही। प्रतिवादी स्टेट द्वारा उक्त तनकी के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की, ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर यह साबित कर पाया है कि वादगत खसरा भूमि पर वादी का कब्जा, उपयोग, उपभोग ना हो। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 02 प्रतिवादी स्टेट के खिलाफ निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा के मुकदमा नंबर 02/2018 अनवान स्टेट बनाम समुन्द्र सिंह जो कि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 28.02.2022 के जरिये रिमाण्ड की गई। उक्त न्यायालय निर्णय की पालना में पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर, जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिया गया। चूंकि पश्चात्वर्ती वाद 24/2023 पत्रावली में दोनो पक्षों की ओर से साक्ष्य सबूत, जवाब प्रस्तुत किये गये। उक्त तमाम विवेचन के आधार पर प्रार्थी स्टेट की ओर से प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र पुनः वाजिब नम्बर के (02/2018) मुकदमा नंबर 234/2022 निर्णय दिनांक 26.03.2018 को अपास्त किया

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



जाता है। एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुकदमा नंबर 24/2023 अनवान समुन्द्र सिंह बनाम स्टेट स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा 588 तादादी 7.84 हैक्टियर वाकेरोही समन्दसर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम घोषित कर उसके सैनिक नम्बर 4146304 के स्थान पर सही सैनिक नम्बर 4146368 मय पिता का नाम मोहरसिंह जाति राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरु दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय मुकदमा नंबर 234/2022 अनवान स्टेट बनाम समुन्द्रसिंह व मुकदमा नंबर 24/2023 अनवान समुन्द्रसिंह बनाम स्टेट के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक १२.११.२०२५ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(उमा मित्तल) रा
उपर उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ

धीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

मुकदमा नंबर 234 / 2022
ऑनलाईन नंबर 2022 / 324

निर्णय दिनांक 29.11.2024

मुकदमा नंबर 24 / 2023
ऑनलाईन नंबर 2023 / 47

स्टेट बनाम समुन्द्र सिंह

समुन्द्रसिंह बनाम स्टेट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री ललित कुमार मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि मुकदमा नंबर (02/2018) व प्रा. पत्र मुकदमा नंबर 234/2022 निर्णय दिनांक 26.03.2018 अनवान स्टेट बनाम समुन्द्र सिंह को अपास्त किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुकदमा नंबर 24/2023 अनवान समुन्द्र सिंह बनाम स्टेट स्वीकार किया जाता है। खेत खसरा 588 तादादी 7.84 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम घोषित कर उसके सैनिक नम्बर 4146304 के स्थान पर सही सैनिक नम्बर 4146368 मय पिता का नाम मोहरसिंह जाति राजपूत निवासी जसवन्तपुरा तहसील राजगढ जिला चुरू दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। उक्त निर्णय मुकदमा नंबर 234/2022 अनवान स्टेट बनाम समुन्द्रसिंह व मुकदमा नंबर 24/2023 अनवान समुन्द्रसिंह बनाम स्टेट के संलग्न रहे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 29 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।



3
(उमा मित्तल) कार
उपखण्ड अधिकारी
(निकानर)
श्री डूंगरगढ